संख्या-46/2016/ 1528/38-4-16-19(बजट)/2015

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक-23 नवम्बर,2016**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश(के0-60:रा0-40) सहित धनराशि की वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक से स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-83)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1162/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2016-17 दिनांक-14 अक्टूबर,2016 एवं पत्र संख्या-1233/सम्प्रेक्षा/2016 दिनांक- 26 अक्टूबर,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 12036/02/2016-आरएच(ए/सी)-3/ए-यूपी दिनांक-23.09.2016 एवं पत्र संख्या 12036/02/2016-आरएच(ए/सी)-3/बी-यूपी दिनांक-23.09.2016 द्वारा प्रधानमत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 मद (अनुदान संख्या-83) में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 92893.851 लाख एवं मैंचिग राज्यांश रू0 59728.251 लाख (बजट की उपलब्धता न होने के कारण मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 2200.983 लाख कम करते हुए) की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (के0-60:रा0-40) सम्मिलित करते हुये चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से केन्द्रांश की धनराशि **रू0- 92893.851** लाख (प्रशासनिक व्यय सहित) एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि **रू0 59728.251 लाख** अर्थात कुल **रू0-152622.102 लाख** (रूपये पन्द्रह अरब छब्बीस करोड़ बाईस लाख दस हजार दो सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित रूप से टारगेट देखा जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति की स्वीकृति जारी करने के उपरान्त, बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तो तथा प्रतिबन्धों एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को नये प्रधानमंत्री आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों में उच्चीकृत/निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत तथा धनराशि को आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को नये प्रधानमंत्री आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों के उच्चीकृत/निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(9) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अनुसार प्रशासनिक मद की धनराशि का व्यय केवल प्राविधानित प्रशासनिक मदों के अन्तर्गत ही आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्माण कार्य तथा प्रशासनिक मदों में हुये व्यय की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक-पृथक उपलब्ध कराया जायेगा अन्यथा की स्थिति में अन्तर्ग्रस्त अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(10) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट (प्रशासनिक मद एवं निर्माण कार्य का पृथक-पृथक) सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय। ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश का आहरण कर सकें।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(के.60/रा.40'के+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव।

<u>संख्या-46/2016/1528(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-श्री समीर वर्मा, निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11-गार्डबुक।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।